कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेड़ता।

क्रमांक :.....85.....स्था. दिनांक:.....01 ~~मई~~ जून, 2018

–: कार्यालय–आदेश :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या RHCJ/Exam. Cell/S.C./LDC/2017/83 दिनांक 18.02.2017, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक संख्या G/I/A-4(i)(a)157/17/3337 Dated 08-05-2018 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः 6 माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के अन्तर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को लिपिक ग्रेड–II के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14600/–(अक्षरे चौदह हजार छःसौ रूपये मात्र) मासिक नियत(फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

S.N.	Roll No.	Date of Birth	Name	Gender	Category
1	541557	14 May, 94	RAHUL SEWAG S/O INDRA CHAND SEWAG, R/O INSIDE NATHUSAR GATE, BARAH GUWAD CHOWK NEAR, BHAIRU BHAWAN KASH NADI, BIKANER, PIN CODE-334001	Male	General /Unreserved
2	549135	04 July, 95	NAMAMI SHANKER VYAS S/O. VIJAY KUMAR VYAS, R/O- SADAFATAH KE PASS BARAHGUWAD CHOWK, BIKANER, PIN CODE-334001	Male	General /Unreserved

01. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोष्रपद नहीं होने या अन्यथा सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
02. प्रथम छः माह में कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जायेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपरोक्त वेतनमान में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
03. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गयी है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
04. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
05. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन मेडिकल पॉलिसी लेने एवं चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
06. राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
07. इस आदेश की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
08. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।